



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2158]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 13, 2010/आश्विन 21, 1932

No. 2158]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 13, 2010/ASVINA 21, 1932

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना  
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2010  
आयकर

का.आ. 2564(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ड की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा “क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड”, बी 0301, सिटी प्लाइट, अंधेरी-कुला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400 059 को उक्त अधिनियम की धारा 80ड के प्रयोजनार्थ एक “वित्तीय संस्थान” के रूप में विहित करती है।

[अधिसूचना सं. 79/2010/फा. सं. 178/49/2008-आई टी ए-1]  
रमण चोपड़ा, निदेशक

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2010

## Income Tax

S.O. 2564(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 80E of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the “Credila Financial Services Private Limited”, B 0301, Citi Point, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400 059 as a “Financial Institution” for the purpose of Section 80E of the said Act.

[Notification No. 79/2010/F. No. 178/49/2008-ITA-I]

RAMAN CHOPRA, Director